एम.एम. से कुमार, जे.

हरियाणा राज्य और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

कृष्ण चंद, प्रतिवादी

2001 का सी.आर. नंबर 3772

28 जनवरी, 2002

मध्यस्थता अधिनियम, 1940–एस.एस. 3, 38, प्रथम अनुसूची सीएल. 3–पुरस्कार की घोषणा में एक महीने की देरी–पक्षों का स्वेच्छा से बिना किसी विरोध के कार्यवाही में भाग लेना–सिविल न्यायालय द्वारा न्यायालय के नियम के रूप में निर्णय देना–प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हालांकि समय नहीं बढ़ाया फिर भी अपील को खारिज कर दिया–चाहे उच्च न्यायालय ने समय बढ़ाने का क्षेत्राधिकार--धारण किया गया, हाँ।

माना गया कि पक्ष मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में स्वेच्छा से भाग लेते रहे हैं और उनके द्वारा कभी कोई विरोध नहीं किया गया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पुरस्कार की घोषणा पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई थी। इसलिए, भले ही अपीलीय न्यायालय ने समय बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, यह समय विस्तार के लिए एक उपयुक्त मामला होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विलम्ब केवल एक माह का है। मध्यस्थ ने 29 सितंबर, 1993 के संदर्भ में प्रवेश किया और पुरस्कार की घोषणा 28 जनवरी, 1994 को की जा सकती थी। हालाँकि, पुरस्कार की घोषणा 28 फरवरी, 1994 को की गई थी। मामले को अपीलीय में वापस भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कोर्ट ने करीब आठ साल पहले पुरस्कार की घोषणा की थी। इसलिए एक माह का समय बढ़ाया गया है.

एन.के. याचिकाकर्ताओं की ओर से जोशी, एएजी हरियाणा।

निर्णय

एम.एम. कुमार, जे.

(1) यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 2000 को पारित फैसले के खिलाफ निर्देशित एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया गया था जिसमें अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) रोहतक द्वारा 3 मई 1999 को पारित की गई डिक्री को चुनौती दी गई। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश ने अपने 3 मई, 1999 के फैसले और डिक्री द्वारा याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को ख़ारिज कर दिया और मध्यस्थ द्वारा 28 फरवरी, 1994 के फैसले को पारित किया गया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश दर्ज करके अपील खारिज कर दी:-

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थ द्वारा निर्णय चार महीने की निर्धारित अवधि से परे दिया गया था। लेकिन प्रतिवादी बिना किसी आपत्ति के ऐसी सुनवाई और कार्यवाही में भाग लेते रहे हैं। कार्यवाही में लंबी भागीदारी और सहमति ऐसे पक्ष को यह तर्क देने से रोकती है कि कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी।

प्रसून रॉय बनाम कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य एआईआर 1988 सुप्रीम कोर्ट, पृष्ठ 205 (डीबी) द्वारा यह माना गया था कि जहां एक पक्ष को पता है कि कुछ विकलांगता के कारण मामला कानूनी रूप से मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वह बिना विरोध के मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेता है और संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही का पूरी तरह से लाभ उठाने वाले को यह पता चलने पर कि निर्णय उसके खिलाफ गया है, बाद के चरण में ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कार्यवाही में लंबी भागीदारी और सहमति ऐसे पक्ष को यह तर्क देने से रोकती है कि कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी।

इसी तरह के प्रभाव के लिए यह एन. चेलप्पन बनाम सचिव, केरल राज्य विद्युत बोर्ड, एआईआर 1975 सुप्रीम कोर्ट 230 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार, मैं ऊपर उल्लिखित केस कानून पर भरोसा करते हुए मानता हूं कि यह पुरस्कार सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं हो जाता क्योंकि यह निर्धारित अवधि के बाद दिया गया था जबकि प्रतिवादी बिना किसी आपत्ति के कार्यवाही और सुनवाई में भाग लेते रहे।"

2)याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री नरेश के जोशी, विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची की धारा 28 और खंड 3 के साथ पठित धारा 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए (संक्षिप्तता के लिए, अधिनियम) मध्यस्थ ने 4 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद पुरस्कार की घोषणा करने का अपना अधिकार क्षेत्र खो दिया है। विद्वान वकील के अनुसार, मध्यस्थ की नियुक्ति 26 जुलाई, 1993 को हुई थी और उन्होंने 29 सितंबर, 1993 को संदर्भ में प्रवेश किया था। यह बताया गया है कि 23 दिसंबर, 1993 को मध्यस्थ के समक्ष दलीलें पूरी की गईं और अगली तारीख तय की गई। पुरस्कार की घोषणा की तारीख 30 दिसंबर, 1993 थी। पुरस्कार की घोषणा के लिए मामले को 28 फरवरी, 1994 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मध्यस्थ ने 28 फरवरी, 1994 को पुरस्कार की घोषणा की। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की अनुसूची ।की धारा 28 और खंड 3 के साथ पठित धारा 3 के तहत निर्धारित समय सीमा 4 महीने से अधिक हो गई है और पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। मध्यस्थ द्वारा घोषित किया गया और इसलिए, निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पार्टियों ने समय सीमा के विस्तार के लिए स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी है। विद्वान वकील के अनुसार, 23 दिसंबर, 1993 को बहस समाप्त होने के बाद पक्षों की ओर से कोई भागीदारी नहीं हुई और इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पार्टियों ने परोक्ष रूप से सहमति दे दी है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने पंजाब राज्य बनाम हरदयाल, (1) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है।

(3) झुके हुए वकील के विवाद का विश्लेषण करने के लिए, अधिनियम की धारा 3, धारा 3, अनुसूचित ।की धारा 3 और धारा 28 के प्रावधानों का संदर्भ देना उचित है, जो निम्नानुसार हैं

"3. एक मध्यस्थता समझौता, जब तक कि उसमें कोई अलग इरादा व्यक्त न किया गया हो, पहली अनुसूची में निर्धारित प्रावधानों को शामिल माना जाएगा जहां तक वे संदर्भ पर लागू होते हैं।

अनुसूची ।का खंड 3. मध्यस्थों को संदर्भ में प्रवेश करने के चार महीने के भीतर या मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष से लिखित रूप में नोटिस द्वारा कार्य करने के लिए बुलाए जाने के बाद या ऐसे विस्तारित समय के भीतर अपना निर्णय देना होगा जो अदालत अनुमति दे सकती है।

28(1). न्यायालय, यदि उचित समझे, पुरस्कार देने का समय समाप्त हो गया है या नहीं और पुरस्कार दिया गया है या नहीं, समय-समय पर पुरस्कार देने का समय बढ़ा सकता है।

(2) मध्यस्थता समझौते में कोई भी प्रावधान जिसके तहत मध्यस्थ या अंपायर, समझौते के सभी पक्षों की सहमति के अलावा, पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ा सकते हैं, शून्य होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) ये प्रावधान एच.के. के मामले में विचार के लिए आये। वट्टल बनाम वी.एन. पंड्या (2), और वहाँ लॉर्डशिप्स ने देखा कि 4 महीने की अवधि से अधिक समय बढ़ाने की शक्ति केवल न्यायालय में निहित है। उनके आधिपत्य की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वह संदर्भ में प्रवेश करने के चार महीने के भीतर या कार्य करने के लिए बुलाए जाने पर अपना निर्णय देगा।

हरियाणा राज्य और दूसरा बनाम कृष्ण चंद इतना विस्तारित समय जितना न्यायालय अनुमति दे। धारा 28 के साथ अनुसूची के खंड 3 को पढ़ने से पता चलता है कि समय बढ़ाने की शक्ति न्यायालय में निहित है, न कि मध्यस्थ में। खंड 3 और धारा 28(1) आवश्यक निहितार्थ से समय बढ़ाने के लिए मध्यस्थ की शक्ति को बाहर कर देते हैं। इस पर धारा 28(2) द्वारा जोर दिया गया है जो यह प्रदान करता है कि जब मध्यस्थ को समय बढ़ाने की शक्ति देने वाला ऐसा प्रावधान समझौते में निहित है, तब भी प्रावधान शून्य होगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 28 का मुख्य नोट यह प्रावधान करके कानून में इस स्थिति की ताकत को सामने लाता है कि पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति केवल अदालत की है।

हालाँकि, धारा 28 की उप-धारा (2) उपरोक्त नियम के एक अपवाद को इंगित करती है कि मध्यस्थ समय नहीं बढ़ा सकता है, और वह तब होता है जब पक्ष इस तरह के लिए सहमत होते हैं

विस्तार. मध्यस्थ के लिए समय बढ़ाने का अवसर तभी आता है जब उसे मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जाता है या वह संदर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि

यदि पक्ष मध्यस्थ द्वारा संदर्भ में प्रवेश करने के बाद समय बढ़ाने पर सहमत होते हैं, तो मध्यस्थ के पास पार्टियों के आपसी समझौते या सहमति के अनुसार इसे बढ़ाने की शक्ति होती है। ऐसी सहमति संदर्भ-पश्चात सहमति होनी चाहिए, यह धारा 28(2) से भी स्पष्ट है जो इस आशय के मूल समझौते में एक प्रावधान को शून्य और शून्य बना देता है। एक अर्थ में जहां मूल समझौते में एक प्रावधान किया गया है कि एब्रिट्रेटर समय बढ़ा सकता है, ऐसा प्रावधान हमेशा विस्तार के लिए आपसी सहमति का तात्पर्य करता है लेकिन मूल समझौते में शुरू में व्यक्त की गई ऐसी आपसी सहमति प्रावधान को शून्य होने से नहीं बचाती है। यह है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ को निर्णय देने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र केवल उसी मामले में मिलता है, जहां मध्यस्थता में प्रवेश करने के बाद, मध्यस्थता समझौते के पक्ष समय के ऐसे विस्तार के लिए सहमति देते हैं।"

(5) मामले में निर्णय एच.के. वाटल का मामला (सुप्रा) हरदयाल के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। हरदयाल के मामले (सुप्रा) में विचार किया जाने वाला प्रश्न यह था कि यदि मध्यस्थता के पक्षकारों ने 4 महीने की समाप्ति के बाद भी, यानी पुरस्कार देने के लिए निर्धारित अवधि के बाद भी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? . प्रश्न का उत्तर उनके आधिपत्य द्वारा निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया है:

"एक बार जब हम मानते हैं कि कानून पार्टियों को मामले को मध्यस्थ के पास भेजे जाने के बाद समय बढ़ाने से रोकता है, तो यह मानना विरोधाभास होगा कि पार्टियों के आचरण से वही परिणाम लाया जा सकता है। लंबे समय से स्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रतिमा के विरुद्ध कोई रोक नहीं हो सकती। यह सच है कि पुरस्कार देने के लिए समय निर्धारित करने का निर्णय शुरू में पार्टियों के बीच सहमति से हुआ था, लेकिन कानून द्वारा स्पष्ट निषेध के कारण समय निर्धारित करने पर इसका पालन नहीं होता है। अनुसूची के खंड 3 के तहत इसे केवल न्यायालय द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किसी भी स्तर पर पार्टियों द्वारा नहीं, यह अभी भी समझौते का मामला बना हुआ है और रोक का नियम लागू होता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम ने मध्यस्थ को देने के लिए निषेधाज्ञा दी है चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर एक पुरस्कार, जब तक कि इसे अदालत द्वारा बढ़ाया न जाए। मध्यस्थ के पास निश्चित समय के बाद एक पुरस्कार देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि समय से परे दिया गया निर्णय अमान्य है, तो पार्टियों को उनके आचरण से रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने इस आधार पर फैसले को चुनौती दी कि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के कारण यह समय से परे दिया गया था।

कानून की नीति यह प्रतीत होती है कि मध्यस्थता की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, मध्यस्थ को निर्धारित समय या ऐसे विस्तारित समय के भीतर निर्णय देना होता है जिसे संबंधित अदालत अपने विवेक से बढ़ा सकती है और अदालत को पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति भी दी गई है। जैसा कि पहले देखा गया, न्यायालय को विस्तार करने की शक्ति मिल गई है।पुरस्कार दिए जाने के बाद भी या पुरस्कार के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी। लेकिन फिर अदालत को न्यायिक तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण अपनाना उचित था। हालाँकि, यह शक्ति. अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान अपील इस न्यायालय में 1970 से लंबित है। इस मामले की परिस्थितियों में समय बढ़ाया जाना चाहिए या

नहीं यह तय करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कानून की नीति को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थता की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं किया जाना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्ष बिना किसी आपत्ति के मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं, हमारी राय में, यह एक उपयुक्त मामला होगा। , समय के विस्तार के लिए. हम तदनुसार पुरस्कार देने का समय बढ़ाते हैं और यह माना जाएगा कि पुरस्कार समय पर दिया गया है।" (जोर मेरा)

(6) हरदयाल के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त पैराग्राफ के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय न्यायालय भी समय बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि उनके आधिपत्य द्वारा देखा गया कानून की नीति यह है कि मध्यस्थता की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबी नहीं होनी चाहिए। मैसर्स जी.एस.डी. में निर्माण बनाम बिहार राज्य और अन्य (3) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल अपील या विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय बढ़ाया जा सकता है। हरदयाल के मामले पर भरोसा करते हुए (सुप्रा) उनके आधिपत्य को निम्नानुसार देखा गया:

"अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यदि कोई विस्तारित विस्तार नहीं था जैसा कि अनुरोध किया जा रहा था, तो अधीनस्थ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों को समय बढ़ाने का अधिकार था, भले ही पुरस्कार दिया गया हो और उनके असफल होने पर भी ऐसा करें, यह निवेदन है कि यह न्यायालय आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। पंजाब राज्य बनाम हरदयाल, (1985) 2 एससीसी 629: (एआईआर 1985 एससी 920) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है जिसमें यह किया गया है अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजते समय यह माना गया। यह न्यायालय पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ा सकता है। उत्तरदाताओं की ओर से, इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया गया है कि ऐसी शक्ति मौजूद है और पार्टियों की दलीलों और नीचे के न्यायालयों के निर्णयों में कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा ऐसे टाइमर को क्यों नहीं बढ़ाया जाए। बल्कि, यह प्रभावित किया गया है कि मामले को आगे विचार करने के लिए वापस भेजे जाने की स्थिति में कि क्या पुरस्कार की आवश्यकता है या नहीं, न्यायालय के नियम का समय बढ़ाया जा सकता है।

दोनों वकीलों द्वारा की गई दलीलों से सहमत होते हुए, हम मध्यस्थ द्वारा वास्तव में पुरस्कार दिए जाने की तारीख तक का समय बढ़ाते हैं और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को इस हद तक संशोधित करते हैं कि मामले को भभुआ के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में वापस भेज दिया जाए। ऐसे अन्य उत्पन्न हुए मुद्दों पर निर्णय लेने के बाद न्यायालय के नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना।"

(7) यह उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम मैसर्स परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य (4) के मामले में एक पक्ष के मौखिक अनुरोध पर समय भी बढ़ाया है।

(8) यदि उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि समय बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, पक्ष मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में स्वेच्छा से भाग लेते रहे हैं और उनके द्वारा कभी कोई विरोध नहीं किया गया। श्री

जोशी का यह तर्क कि 23 दिसंबर, 1993 को बहस समाप्त होने के बाद मध्यस्थ द्वारा आयोजित कार्यवाही में कोई भागीदारी नहीं थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके बाद भी पक्षकार उन तारीखों पर उपस्थित हुए हैं जब पुरस्कार की घोषणा की गई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरस्कार की घोषणा पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई हो। इसलिए, भले ही अपीलीय न्यायालय ने समय बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, यह समय विस्तार के लिए एक उपयुक्त मामला होगा। इस मामले में देरी सिर्फ एक महीने की नजर आ रही है. मध्यस्थ ने 29 सितंबर के संदर्भ पर प्रवेश किया। 1993 और पुरस्कार की घोषणा 28 जनवरी 1994 तक हो सकती थी। हालाँकि, पुरस्कार की घोषणा 28 फरवरी, 1994 को की गई थी। मेरी राय में, मामले को अपीलीय न्यायालय में वापस भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि पुरस्कार की घोषणा लगभग आठ साल पहले की गई थी। इसलिए एक माह का समय बढ़ाया गया है.

(9) अलग होने से पहले, यह बताना आवश्यक है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कानून के अनुसार नहीं था और मामले में अधिनियम की धारा 20 के तहत दिए गए फैसले पर भरोसा करने के बजाय समय बढ़ाया जाना चाहिए था। प्रसून रॉय (सुप्रा)। यह मामला पूरी तरह से अलग प्रस्ताव से संबंधित है। इसलिए, अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए तर्क से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। हालाँकि, जो नतीजे सामने आए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है।

(10) ऊपर दर्ज कारणों से, यह पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा

आर.एन.आर